(181)

<u>न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ,ग्वालियर कैम्प उज्जैन</u>

<u>समक्ष अध्यक्ष महोदय,</u>

PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2018/01983

मनीष पिता मदनलाल

निवासी रामसहाय मार्ग नागदा जिला उज्जैन .... आवेदक / निगरानीकर्ता

विरूद्ध

विजय पिता बापूलाल चोहान जाति कुम्हार

निवासी पांचाल धर्मशाला के सामने महिदपुर रोड नागदा ....अनावेदक

"अपर आयुक्त उज्जैन सभांग उज्जैन (श्री पी. आर. कत्रोलिया) के अपील प्रकरण कमांक 1530 / अपील / 2016–17 आदेश दिनांक 07 / 03 / 2018 को पारित आदेश से अंसतुष्ट होकर निगरानी मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 कि धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत "।

कैम्प उज्जैन में अधि. श्री संजय नागर जी द्वारा प्रस्तुत। 22/03/18

माननीय महोदय,

अपीलार्थी अधिनस्थ योग्य न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 1530 /अपील / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 07 / 03 / 2018 से अंसतुष्ट एव दुखित होकर निम्न कारणो के आधार पर श्रीमान के समक्ष यह निगरानी अंदर अवधि प्रस्तुत है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि आवेदक ने तहसीलदार महोदय के समक्ष दिनांक 02 / 03 / 2016 को एक शिकायती आवेदन इस बाबत दिया था कि अनावेदक विजय चोहान द्वारा असत्य जानकारी व शपथपत्र के आधार पर गलत जानकारी देकर मानक आवास प्रमाण दिनांक 07 / 03 / 2014 को जारी करवा लिया जिसके समर्थन में आवदेक द्वारा मानक आवास प्रमाण पत्र , नगर पालिका नागदा से जारी समग्र आई डी ...

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2018/1983 [मनीष/विजय]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-3-2018	आवेदक की ओर से श्री संजय नागर, अभिभाषक उपस्थित । ग्राह्यता पर सुना गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 7-3-18 की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में प्रकरण प्रकरण बी-121 मद में दर्ज होकर आवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में है, जो कि प्रशासनिक कार्यवाही है । स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत आदेश पारित नहीं किया गया है । अतः इस प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से निरस्त किया जाता है । अध्यक्ष	